न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/185/2021	2021/454	11.10.2021	11.01.2022

1– जगन पुत्र बक्शा जाति कुम्हार उम्र करीब 57 साल, निवासी ग्राम घाटडा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर राजस्थान।

2– बंद्वा पुत्र भौरा जाति कुम्हार उम्र करीब 85 साल, निवासी ग्राम घाटडा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– देवी सहाय पुत्र सुन्दर उम्र करीब 60 साल जाति मीना, निवासी घाटडा तहसील राजगढ, जिला अलवर राज0।

2– जन्सी उम्र करीब 55 साल पुत्र सुन्दर जाति मीना, निवासी घाटडा तहसील राजगढ, जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील प्रार्थी

02. श्री गंगाराम मीणा –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी राजगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 251–क बअनुवानी देवी सहाय बनाम बक्शा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैः की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में अन्तर्गत धारा 251–क आरटीएक्ट 1955 बउनवान देवी सहाय बनाम बक्शा विचाराधीन है। प्रार्थीगण की ओर से पटवारी व कानूनगो की रिपोर्ट पर एतराज प्रस्तुत किया गया था। जिस बाबत अधिनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों ने यह राय व्यक्त की कि रिपोर्ट में आक्षेप गलत है। रास्ता तो निकालना पडेगा। पीठासीन अधिकारी के इस कथन के कारण प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 238/1703 व खसरा नं0 242 लगायत 253 किता 13 रकबा 3.24 है0 वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ़ में आने जाने व टैक्टर आदी ले जाने में रास्ता नदी के पास से है, जो मौके पर आज भी आमद रफत होती है। हम प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 283, 286, 287 में होकर न तो कभी अप्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने का रास्ता रहा है ना ही मौके पर रास्ता है। अप्रार्थीगण के पास अपने खेतो में जाने के लिए पूर्व से रास्ता कायम है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नही है। न्याय का यह सिद्वान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिलना ही नही चाहिए बल्कि उसे लगना भी चाहिए की सही ओर निष्पक्ष न्याय मिलेगा।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवान देवीसहाय बनाम बक्शा वगे0 मुकदमा नं0 3/25ए को उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

जिला कलक्टर, अलवर

वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया की विचाराधीन पत्रावली को स्थानान्तरण करने का वकील प्रार्थी द्वारा कोई आधार नही दिया गया है। विचाराधीन प्रकरण को देरी करने की नियत से प्रार्थना पत्र मुंतकिल दायर किया गया है तथा युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण से पीठासीन अधिकारी का कोई संबंध व सरोकार नही है। इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में वर्तमान में कुछ भी कहना न्यायसंगत नही है। विचाराधीन प्रकरण प्रार्थना पत्र 251–क के सभी प्रकरणों में एक साथ नजदीक तारीख पेशियां सात दिवस के अन्तराल की दी जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। किसी भी प्रकरण में पृथक से तारीख पेशी निर्धारित कर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्चे पर अस्वीकार फरमाने का श्रम करें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को मुंतकिल करने का कोई युक्तियुक्त कारण नही दिया है ना ही उक्त संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हलफनामा पेश किया है जिससे ऐसा लगता हो कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को मुंतकिल किया जाना आवश्यक हो। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर